न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/44/2011	2011/00005	24–11–2011	18–12–2024

1– मन्दिर श्री रणछोड़ जी महाराज वाके ग्राम मालाखेडा इन्तजाम महन्त रघुनाथदास सा० मालाखेडा। ––प्रार्थी

बनाम

1. सरजीत पुत्र सवाई कौम मेव सा० पूठी तह0 रामगढ जिला अलवर। ––अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजकीय अभिभाषक – वकील तहसीलदार रामगढ
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा – वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार रामगढ ने यह रैफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि रेफरेंस अदालत श्रीमान के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में है। ग्राम पूठी की जमाबन्दी स० 2014 बन्दोबस्त में खाता न० 178 पर माफी मन्दिर श्री रणछोरजी महाराज वाके ग्राम कस्बा मालाखेडा इन्तजाम महन्त रघुनाथदास कोलम स० 4 में अंकित है। जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त स० 2058 में खाता स० 290 पर बन्दोबस्त द्वारा रघुनाथ प्रसाद सा० मालाखेडा मार्फत सवाई पु. जसमत मेव सा० देह साल 36 अकित किया है। इससे स्पष्ट है कि बन्दोबस्त में मन्दिर माफी का इन्द्राज हटाया गया है। नामा० स० 187 मुताबिक डिक्री मु.न. 1/8 तारीख रजू 19.01.2004 निर्णय दिनांक 26.10.2006 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ़ के खोला गया है व दिनाक 06.01.2007 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया है। डिक्री (निर्णय) में सरजीत पुत्र सवाई मेव द्वारा रघुनाथप्रसाद के 'विरुद्ध दावा किया गया माफी मन्दिर के पूर्व अंकन को सामने ही नहीं लाया गया है। पूर्व बन्दोबस्त स० 2014 में माफी मन्दिर का अंकन स्पष्ट है इस आधार पर भूमि मन्दिर माफी की है। पक्षकारान द्वारा जमाबन्दी स० 2058 (मिसल बन्दोबस्त) के बाद किए गये अकन के आधार पर ही डिक्री हेतु केस किया गया है, न्यायालय द्वारा डिक्री की गई है। सरजीत को खातेदारी माफी मन्दिर की भूमि पर दिया जाना राज्य सरकार के हितो के विपरीत है। इसलिए, संबंधित याचिकाकर्ता को मंदिर की मूर्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए वापस करने का आदेश दिया जाए। अतः खसरा नंबर 351 रकबा 0.86 हैक्टेयर वाके ग्राम पूठी तह0 रामगढ बाबत रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर जो अंकन उक्त आराजी का अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है, उसे निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर श्री रणछोर जी महाराज शाश्वत नाबालिग के नाम का अंकन किये जाने की कृपा करें।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स के समर्थन में अपना लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम पूठी तह0 रामगढ जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी से मंदिर श्री रणछोर जी महाराज मालाखेडा का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही उनकी कभी कब्जे काश्त रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में मिन प्रतिवादी का दावा हरदो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात डिक्री किया है जिसे किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। विवादित आराजी पर मिन प्रतिवादी अप्रार्थी का बर्तार सिकमी काश्तकार के बुजुर्गान समय से कब्जा चला आ रहा है। मिन अप्रार्थी का विवादित आराजी पर दिनांक 31.12.69 से पूर्व से व इसके पश्चात लगातार बहैसीयत सिकमी काश्तकार के कब्जा चला आ रहा है, जिस इन्द्राज के आधार पर व मौके पर कबजा के आधार पर दावा दायर किया था जो दावा हरदो पक्षकार को सुनने के पश्चात डिक्री फरमाया गया है। विवादित आराजी गत बंदोबस्त में साबिक ख0नं0 229 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा था। उक्त आराजी मिन अप्रार्थी के पिता सवाई को काश्त पर दी गई थी। जिस आराजी पर मिन अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

के पिता जीवनपर्यन्त काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद मिन अप्रार्थी बतौर सिकमी काश्तकार के काबिज चला आ रहा है। इसलिए मिन अप्रार्थी उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तहसीलदार द्वारा रैफरेन्स देरीना से पेश किया है जिसका कोई स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि रैफरेन्स मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में जमाबंदी संवत् 2076–79 तथा RRD 2015 Page 91, RRD 2015 Page 1 पेश की हैं।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार रामगढ के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओं को स्वीकार करते हुये रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। ग्राम पूठी की जमाबन्दी स० 2014 बन्दोबस्त में खाता न० 178 पर माफी मन्दिर श्री रणछोरजी महाराज वाके ग्राम कस्बा मालाखेडा इन्तजाम महन्त रघुनाथदास कोलम स० 4 में अंकित है। बन्दोबस्त स० 2014 में माफी मन्दिर का अंकन स्पष्ट है इस आधार पर भूमि मन्दिर माफी की है। जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त स० 2058 में खाता स० 290 पर बन्दोबस्त द्वारा रघुनाथ प्रसाद सा० मालाखेडा मार्फत सवाई पु. जसमत मेव सा० देह साल 36 अकित किया है। इससे स्पष्ट है कि बन्दोबस्त द्वारा मन्दिर माफी का इन्द्राज हटाया गया है। मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2014 बन्दोबस्त खाता नं0 178 में वर्णित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 0.86 हैक्टेयर वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ से अप्रार्थी का नाम कलमजन किया जाकर माफी मंदिर श्री रणछोर जी महाराज वाके ग्राम मालाखेडा के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)